संख्या-86/1995/47-का-3-2014-24/5/2008

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह यादव
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2014**

विषय - श्री रत्नेश सिंह, (पी0सी0एस0) सहायक निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के पत्र संख्या-आई-4487/ 2008/630, दिनांक 06.08.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री रत्नेश सिंह (पी0सी0एस0) सहायक निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ जिन्होंने डी0टी0एस0 का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, को कार्मिक समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-24/8/76-का.प्र. सं.को./1999, दिनांक 12.05.1999 समसंख्यक शासनादेश संख्या-24/8/76-का.प्र.सं.को./1999, दिनांक 21.08.1999, शासनादेश संख्या-24/8/76-का.प्र.सं.को./1999, शासनादेश दिनांक 06.07.2005 सम संख्यक शासनादेश दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन अकादमी में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अर्थात दिनांक 28.07.2014 से अकादमी में उनकी तैनाती की अवधि तक उनके पुनरीक्षित वेतनमान के मूल वेतन का 15 प्रतिशत के समतुल्य प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराये जाने के फलस्वरूप संबंधित अवधि में श्री रत्नेश सिंह को विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन तथा अन्य भत्ते देय नही होगें।

3- उपर्युक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष् 2014-2015 के अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-11-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के मद संख्या-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) आदि के सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-86/1995(1)/47-का-3-2014-24/2/2008, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) विशेष सचिव एवं निदेशक, कार्मिक प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ, उ0प्र0 सचिवालय।
(4) नियुक्ति अनुभाग-3/ 7/ 6.
(5) वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन ।
(6) उप सचिव, इरला चेक (वे0प्र0) उत्तर प्रदेश शासन।
(7) श्री रत्नेश सिंह, पी.सी.एस., सहायक निदेशक, उ.प्र. प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
(8) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in